सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं: NCST/DEV-2319/MH/85/2023-ESDW

दिनांक: 18.05.2026

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी,
जिला-छत्रपति शंभाजीनगर,
कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी,
छत्रपति शंभाजीनगर-431001, महाराष्ट्र
ई-मेल: collector.chsambhajinagar@maharashtra.gov.in

विषय: भूमि विवाद के संबंध में श्री साहेबराव जंगलू भिल एवं अन्य, मुक्काम-मुखेड़,पोस्ट-हनुमंत खेड़ा, तहसील-सोयगाँव, जिला-औरंगाबाद, महाराष्ट्र का दिनांक 08.09.2023 का अभ्यावेदन।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर **दिनांक 20.04.2026 को** आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आहूत सिटिंग का सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त सिटिंग का कार्यवृत इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

2. आपसे अनुरोध है की सिटिंग में लिए गए निर्णयों एवं आयोग द्वारा दिए गए सुझावों पर कार्रवाई करते हुए कार्रवाई रिपोर्ट इस आयोग को **पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर** भेजना सुनिश्चित करें।

संलग्न: यथोपरि.

भवदीय

(आर. के. दुबे/R.K. Dubey)
निदेशक/Director
दूरभाष: 011- 20819839

प्रतिलिपि प्रेषित:

श्री साहेबराव जंगलू भिल,
मुक्काम-मुखेड़,पोस्ट-हनुमंत खेड़ा,
तहसील-सोयगाँव, जिला-औरंगाबाद,
महाराष्ट्र

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

पत्रावली संख्या / File No.: NCST/DEV-2319/MH/85/2023-ESDW

अनुसंधान इकाई: अनुसंधान इकाई–I

भूमि विवाद के संबंध में श्री साहेबराव जंगलू भिल एवं अन्य, मुक्काम-मुखेड़,पोस्ट-हनुमंत खेड़ा, तहसील-सोयगाँव,जिला-औरंगाबाद,महाराष्ट्र से दिनांक 08.09.2023 का अभ्यावेदन के संबंध में दिनांक 20.04.2026 को माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न सिटिंग/सुनवाई का कार्यवृत्त।

1. सिटिंग/सुनवाई की तिथि एवं अध्यक्षता:

दिनांक: 20.04.2026

अध्यक्षता: माननीय अध्यक्ष महोदय

2. सिटिंग/सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी: (अनुलग्नक–I के अनुसार)

3. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण:

आयोग को श्री साहेबराव जंगलू भिल, निवासी मुखेड़, पोस्ट–हनुमंत खेड़ा, तहसील–सोयगांव, जिला–छत्रपति शंभाजीनगर (महाराष्ट्र) द्वारा एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि सरकार द्वारा उनकी भूमि पर कब्जा किया जा रहा है तथा उन्हें भूमिहीन किए जाने की स्थिति उत्पन्न हो गई है। याचिकाकर्ता द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि उक्त परिस्थितियों के कारण उन्हें सामाजिक एवं आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अतः आयोग से अनुरोध किया गया कि प्रकरण में उचित हस्तक्षेप कर आदिवासी हितों की रक्षा हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए।

4. प्राप्त प्रतिवेदन की स्थिति:

प्रकरण के संबंध में जिला कलेक्टर, छत्रपति शंभाजीनगर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 13.03.2026 में अवगत कराया गया कि मौजे मुखेड़, तहसील सोयगांव स्थित समूह क्रमांक 38 की भूमि शासकीय भूमि है, जिस पर विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किया गया है। प्रतिवेदन के अनुसार, सोयगांव तहसीलदार द्वारा

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

अतिक्रमण के नियमितीकरण के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था तथा आवेदक को दिनांक 29.10.2011 के पत्र के माध्यम से आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया था। तथापि, आज दिनांक तक आवेदक द्वारा अपेक्षित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए। जांच प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख किया गया कि संबंधित भूमि पर विभिन्न व्यक्तियों द्वारा लगभग 50 से 60 एकड़ क्षेत्र में अतिक्रमण कर खेती की जा रही है तथा कुछ स्थानों पर कुएं आदि भी निर्मित पाए गए हैं।

5. पिछली सुनवाई के अभिलेख:

प्रकरण को माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा पूर्व में तीन बार सुनवाई हेतु सूचीबद्ध किया गया था, किन्तु संबंधित विभाग के प्राधिकारी उपस्थित नहीं हुए, जिसके कारण सुनवाई प्रभावी रूप से संपन्न नहीं हो सकी।

6. दिनांक 20.04.2026 की सुनवाई में टिप्पणियाँ एवं अवलोकन:

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 22.04.2026 को सुनवाई की अध्यक्षता की गई। सुनवाई के दौरान कलेक्टर एवं जिलाधिकारी, जिला– छत्रपति संभाजी नगर के प्रतिनिधि श्री लतीफ़ पठान, एसडीएम तथा याचिकाकर्ता अनुपस्थित रहे। सुनवाई के दौरान संबंधित प्राधिकरण द्वारा इस प्रकरण से लिखित अभिलेख/दस्तावेज दिनांक 17.04.2026 प्रस्तुत किए और यह अवगत कराया कि संबंधित भूमि के सीमांकन, फेरफार प्रविष्टियों एवं वास्तविक कब्जे की स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण राजस्व अभिलेखों का परीक्षण तथा भूमि मापन आवश्यक है। कुछ व्यक्तियों द्वारा भूमि पर लंबे समय से कब्जा एवं निर्माण होना भी बताया गया है। जिला प्रशासन द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा संबंधित भूमि पर स्वामित्व/मालिकाना हक के समर्थन में कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य अथवा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

7. दिनांक 20.04.2026 की सुनवाई उपरांत आयोग की अनुशंसाएँ:

1. उपलब्ध तथ्यों एवं सुनवाई के दौरान प्रस्तुत जानकारी के आधार पर यह परिलक्षित होता है कि याचिकाकर्ता द्वारा संबंधित भूमि पर स्वामित्व सिद्ध करने हेतु पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जा सके हैं। अतः आयोग यह अनुशंसा करता है कि संबंधित जिला प्रशासन/राजस्व

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

प्राधिकारी ग्राम स्तर पर सम्बधित क्षेत्र के वरिष्ठ एवं वृद्ध व्यक्तियों के कथन दर्ज करें, स्थानीय परंपरागत कब्जे, उपयोग एवं पारिवारिक दावों का सत्यापन कर याचिकाकर्ता को विधिसम्मत सहायता प्रदान करने की संभावनाओं का परीक्षण करें, जिससे आवेदक सहित कोई भी वास्तविक आदिवासी परिवार अपनी पैतृक भूमि से वंचित न हो।

2. आयोग यह भी अनुशंसा करता है कि संबंधित प्राधिकारी याचिकाकर्ता के साथ प्रत्यक्ष समन्वय एवं संवाद स्थापित करें तथा प्रकरण के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन एवं वैधानिक सहायता उपलब्ध कराते हुए संवेदनशील एवं सक्रिय दृष्टिकोण अपनाएं। जिला कलेक्टर, छत्रपति संभाजी नगर द्वारा इस संबंध में किए गए कार्यों की रिपोर्ट आयोग को एक माह में उपलब्ध कराई जाए।

(अंतर सिंह आर्य)

अध्यक्ष

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
अनुसंधान एकक-I
****

फाइल. सं.: NCST/DEV-2319/MH/85/2023-ESDW

दिनांक: 20.04.2026

विषय: भूमि विवाद के संबंध में श्री साहेबराव जंगलू भिल एवं अन्य, गुक्काग-मुखेड़, पोस्ट-हनुमंत खेड़ा, तहसील-सोयगाँव, जिला-औरंगाबाद, महाराष्ट्र का दिनांक 08.09.2023 का अभ्यावेदन के संदर्भ में आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आयोग मुख्यालय के न्यायालय कक्ष में दिनांक 20.04.2026 को आयोजित सिटिंग/सुनवाई की उपस्थिति।

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1.	श्री अंतर सिंह आर्य	माननीय अध्यक्ष	अध्यक्षता	
2.	श्री पूर्णेन्दु कान्त	निदेशक		
3.	श्री आर. के. दूबे	उप-निदेशक		
4.	श्री शिव प्रकाश	वरिष्ठ अन्वेषक		
5.	श्री विवेकानन्द शुक्ला	अन्वेषक		

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, जिला-छत्रपति शंभाजीनगर,
छत्रपति शंभाजीनगर-431001, महाराष्ट्र

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1.	[illegible]	SDM	9422069 766	[illegible]
2.				
3.				
4.				

अभ्यावेदक/अभ्यावेदिका

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1.				
2.				